रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 1997/फाल्गुन 29, 1918
No.10] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 1997/PHALGUNA 29, 1918

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम, 1997

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1997

सं० भा०रा०रा०प्रा०/12011/12/95-प्रशासन.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988(1988 का 68) की धारा-9 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एतद्द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों या कर्मचारियों की यात्रा रियायत की पात्रता विनिर्दिष्ट करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

1. इन विनियमों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम, 1997 कहा जाएगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. लागू होना :

ये विनियम प्राधिकरण की पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होंगे जिन्होंने प्राधिकरण में नियमित रूप से एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, परन्तु यह कि प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने के छः माह की अवधि के भीतर इन विनियमों के अधीन यथा स्वीकार्य छुट्टी यात्रा रियायत अथवा उनके पुराने संगठन में उन्हें प्राप्य यात्रा रियायत सुविधा, जो भी उनके लिए अधिक अनुकूल हो, में से किसी एक को चुनने की विकल्प प्राप्त होगा किन्तु जहां किसी कर्मचारी ने स्वयं अथवा अपने परिवार के सम्बन्ध में किसी ब्लाक वर्ष की छुट्टी यात्रा रियायत सुविधाएं पहले ही अपने मूल कार्यालय में प्राप्त कर ली हों, वहां कर्मचारी अथवा उसका परिवार,प्राधिकरण से उस ब्लाक वर्ष की छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

3. परिभाषा :

इन विनियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) ''ब्लाक'' से अभिप्राय वही है जो केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 के नियम 8 में दिया गया है।

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय, अध्यक्ष अथवा उस सदस्य या अधिकारी से है जिसे इन विनियमों के अधीन इस सम्बन्ध में प्रयोज्य शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं।

(ग) "रियायत" से अभिप्राय इस विनियमों के अधीन किसी अधिकारी या कर्मचारी को स्वीकार्य छुट्टी यात्रा रियायत से है।

(घ) "अनुशासनिक प्राधिकारी" से अभिप्राय वही है जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम, 1996 में दिया गया है।

(ङ) "परिवार" से अभिप्राय किसी अधिकारी या कर्मचारी की पत्नी अथवा पति, जैसी स्थिति हो, उसका अथवा उसकी वैध सन्तान और सौतेले बच्चे, माता, पिता, सौतेली मां, अविवाहित बहनें और अवयस्क भाई, जो पूर्णत: अधिकारी या कर्मचारी पर आश्रित हों, से है।

(च) "मूल निवास स्थान" से अभिप्राय उस कस्बे, गांव या किसी अन्य स्थान से है जो अधिकारी या कर्मचारी द्वारा घोषित किया गया हो और विनियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो।

(छ) "अधिकारी या कर्मचारी" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्राधिकरण की पूर्णकालिक सेवा में हो और उसने प्राधिकरण में एक वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।

4. मूल निवास स्थान की घोषणा

1. प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर अथवा प्राधिकरण की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर अथवा छुट्टी यात्रा रियायत लेने से पहले, जो भी पहले हो, सक्षम प्राधिकारी को अपने मूल निवास स्थान के रूप में अपने कस्बे, गांव या किसी दूसरे स्थान की घोषणा करेगा और सक्षम प्राधिकारी ऐसी घोषणा को स्वीकार करेगा।

2. उप-नियम (1) के अधीन की गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत घोषणा को अन्तिम समझा जायेगा किन्तु अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी, इस घोषणा को पर्याप्त कारणों के आधार पर इन्हें लिखित रूप में दर्ज करते हुए मूल निवास स्थान सम्बन्धी घोषणा में परिवर्तन कर सकता है किन्तु इस प्रकार का परिवर्तन अधिकारी या कर्मचारी के सेवाकाल में एक बार से अधिक नहीं किया जायेगा।

5. रियायत का प्रकार और उसकी स्वीकार्यता

1. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर, कोई अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित प्रयोजन के लिए स्वयं के लिए अथवा अपने परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध में रियायत प्राप्त कर सकता है :—

(क) दो वर्ष के ब्लॉक में एक बार मूल निवास स्थान जाने के लिए और चार वर्ष के ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान पर भ्रमण करने के लिए :

परन्तु यह कि अधिकारी या कर्मचारी अथवा उसके परिवार का सदस्य भारत में किसी स्थान पर जाने के बदले में मूल निवास स्थान का भ्रमण कर सकता है।

2. यह रियायत किसी अधिकारी या कर्मचारी को उस स्थिति में प्राप्त होगी जब वह किसी भी प्रकार की छुट्टी लेकर जाता है और जहां कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं जाता है, वहां रियायत उस स्थिति में भी प्राप्य होगी भले ही उसे कोई छुट्टी मंजूर न की गई हो।

3. यदि यह रियायत मूल निवास स्थान जाने अथवा भारत में किसी भी स्थान का भ्रमण करने के लिए उस ब्लॉक वर्ष में नहीं ली जाती है जिसमें यह देय थी तो इसे अगले दो वर्ष अथवा चार वर्ष, जैसी भी स्थिति हो के ब्लॉक के पहले वर्ष में अग्रेनीत किया जाएगा और इसके बाद यह समाप्त हो जाएगी।

6. पात्रता

1. रेल द्वारा यात्रा

अधिकारी या कर्मचारी रेल द्वारा यात्रा करने का पात्र होगा और उसकी रेल से यात्रा करने की श्रेणी की पात्रता केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 के नियम 4 के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

2. वायुयान द्वारा यात्रा

अधिकारी या कर्मचारी उन स्थानों के बीच वायुयान से यात्रा कर सकता है जो रेल से न जुड़े हों अथवा यदि ये स्थान रेल से जुड़े हों, तो इनसे यात्रा करना अधिक खर्चीला पड़ता हो।

7. प्रतिपूर्ति

अधिकारी या कर्मचारी को इस रियायत की प्रतिपूर्ति लघुतम मार्ग से उसके द्वारा टिकट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक की गई यात्रा के आधार पर की जाएगी और इसमें स्थानीय खर्चे अथवा स्थानीय यात्रा पर किया गया व्यय शामिल नहीं होगा।

8. दावा प्रस्तुत करना

1. यदि अधिकारी या कर्मचारी ने अग्रिम लिया हो तो वह वापसी यात्रा पूरी करने के एक माह के भीतर आवश्यक विवरण सहित किराये का ब्यौरा देते हुए रियायत के लिए उपना दावा प्रस्तुत करेगा जिसके साथ वह इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसने अथवा उसके परिवार अथवा दोनों ने वास्तव में यात्रा की है और यदि कोई अग्रिम न लिया गया हो तो उस स्थिति में वह तीन माह के भीतर दावा प्रस्तुत करेगा।

2. यदि अधिकारी या कर्मचारी उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना दावा प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका दावा प्रतिपूर्ति के लिए मान्य नहीं होगा और यदि उसे इसके लिए कोई अग्रिम मंजूर किया गया हो तो उसकी सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली की जाएगी।

9. अग्रिम की मंजूरी

1. किसी अधिकारी या कर्मचारी को यात्रा पर होने वाले अनुमानित व्यय का 4/5 भाग से अधिक का अग्रिम न दिया जाए।

2. जहां किसी अधिकारी या कर्मचारी ने उप-विनियम (1) के अधीन अग्रिम लिया हो और वह अग्रिम लेने की तारीख से 30 दिन के भीतर यात्रा प्रारम्भ करने में असमर्थ रहता है तो वह तुरंत ही अग्रिम की राशि एकमुश्त रूप में वापस करेगा।

10. छुट्टी यात्रा रियायत का झूठा दावा

1. यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध रियायत के लिए झूठा दावा प्रस्तुत करने का आरोप लगाकर उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को तब तक रियायत नही दी जाएगी जब तक अनुशासनिक कार्रवाई पूरी नही हो जाती है।

2. यदि अनुशासनिक कार्रवाई परिणाम के स्वरूप, अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसे अनुशासनिक कार्रवाई के दौरान पहले से रोकी गई रियायत के अतिरिक्त अगले दो सैटों के लिए रियायत की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. यदि अधिकारी या कर्मचारी को रियायत का झूठा दावा प्रस्तुत करने के आरोप में पूर्णत: दोषमुक्त पाया जाता है तो उसे इससे पहले रोकी गई रियायत प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजन के लिए मूल निवास स्थान और भारत में किसी अन्य स्थान के लिए रियायत के दो सेटों के अन्तर्गत होगी।

11. छूट देने की शक्ति

विनियमों में यथा अन्यथा उपबन्धित बातों को छोड़कर, यदि अध्यक्ष यह समझतें है इन विनियमों में से किसी को लागू करने के कारण किसी विशेष मामले में अनावश्यक कठिनाई उत्पन होती है वह आदेश द्वारा, लिखित रूप में औचित्य देते हुए उक्त विनियम की उपेक्षाओं मे उस सीमा तक और उन अपवादों तथा शर्तों के अधीन छूट या उनमें ढील दे सकते हैं जितना वह उचित और समयावधि के अनुसार मामले के निपटान के लिए आवश्यक समझें।

12. अन्य मामले

ऐसे अन्य मामले जिनके सम्बन्ध में इन विनियमों के अधीन कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं किया गये हैं, केन्द्रीय सरकारी द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 के उपबन्धों और इसके अधीन जारी आदेशों के अनुसार विनियमित होंगे।

13. निर्वचन

यदि इन विनियमों की व्याख्या से सम्बन्धित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसे अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जो उसके सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

आर. एल. कौल, सदस्य

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA (LEAVE TRAVEL CONCESSION) REGULATIONS, 1997

New Delhi, the 11th March, 1997

No. NHAR/12011/12/95-Admn.—In exercise of the powers conferred by section 35 read with Sub-section (1) of section 9 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations, specifying the entitlement of travel concession of the officers and employees of the Authority, namely :—

1. Short title and commencement :

(1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Leave Travel Concession) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :

These regulations shall apply to all officers and employees in whole-time employment of the Authority who have completed one year of continuous and regular service in the Authority :

Provided that the persons appointed on deputation shall have the option to be exercised within six months of joining service of the Authority, to choose between leave travel concession as admissible under these regulations or that admissible to them under their parent organisation whichever is more favourable to the, but no such person shall be entitled to avail of the concession from the Authority for himself or for his family for the duration of a block in which he or any member of his family has already availed of the concession under this parent organisation during that block.

3. Definitions :

In these regulations, unless the context otherwise requires :

(a) "block" has the same meaning as in rule 8 of the Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules 1988;

(b) '' competent authority'' means the Chairman or any Member or any officer to whom powers exercisable under these regulations have been delegated in this behalf;

(c) ''concession'' means the leave travel concession admissible to an officer or employee under these regulations;

(d) ''disciplinary authority'' has the same meaning as in the National Highways Authority of India (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 1996;

(e) ''family'' means an officer or employees's wife or husband, as the case may be, his or her legitimate children and step-children, parents, step-mother, unmarried sisters and minor brothers, wholly dependent upon the officer or employee;

(f) "home town" means the town, village or any other place declared as such by the officer or employee and accepted by the competent authority under regulation 4;

(g) "officer or employee" means a person who is in the wholetime employment of the Authority and has completed one year of continuous and regular service within the Authority.

4. Declaration of home town :

(1) Every officer or employee shall within a period of six months from the date of commencement of these regulations or within a period of six months from the date of his joining the service of the Authority or before availing of the concession, whichever is earlier, make a declaration to the competent authority, a town, village or any other place in India as his home town, and the competent authority shall accept such declaration.

(2) A declaration made under sub-regulation (1) and accepted by the competent authority shall be final, but at the request of the officer or employee for adequate reasons, the competent authority may, for reasons to be recorded in writing, change the home town, provided that such a change shall not be effected more than once during the entire period of service of the officer or employee.

5. Type of concession and their admissibility :

(1) Subject to the approval of the competent authority, an officer or employee may avail of the concession for himself and the members of his family :

(a) to visit his home town once in a block of two years ; and

(b) to visit any place in India once in a block of four years.

Provided that an officer or employee or the members of his family may, in lieu of visiting any place in India, visit the home town.

(2) The concession shall be admissible to an officer or employee when he proceeds on any kind of leave and where the officer or employee does not accompany the members of his family, the concession shall be admissible even if no leave has been granted to the officer or employee.

(3) The concession to visit home town or any place in India, if unutilised during the block year for which it was due, may be carried forward to the first year of the next block of two years or four years, as the case may be, and thereafter it shall lapse.

6. Entitlement :

(1) Journey by rail:—An officer or employee shall be entitled to travel by rail and entitlement of class of accommodation shall be determined on the basis of rule 4 of the Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988.

(2) Journey by air : An Officer or employee may travel by air between places not connected by rial or though connected by rail, Journey by such connection is more expensive.

7. Reimbursement :

Reimbursement of the concession shall be allowed on the basis of point to point journey on a through ticket over the shortest route and shall not cover incidental expenses or expenditure on local journey.

8. Submission of claim :

(1) The officer or employee shall prefer his claim for reimbursement of the fare paid by him for the concession together with necessary details alongwith a certificate that he or his family, or both, actually performed the journey within one month of the completion of the return journey, if advance has been taken by him and where on advance has been drawn within three months.

(2) If an officer or employee does not submit his claim within the period specified in sub-regulation (1), his claim for reimbursement shall be forfeited and the advance granted to him, if any, shall be recovered from him.

9. Grant of advance :

(1) Advance not exceeding four fifth of the estimated expenditure on journey may be granted to an officer or employee.

(2) Where advance has been drawn under sub-regulation (1), and the officer or employee fails to commence the onward journey within thirty days of the drawal of advance, he shall refund the advance drawn forthwith in one lumpsum.

10. Fraudulent claim of leave travel concession :

(1) If a decision is taken by the disciplinary authority to initiate disciplinary proceedings against an officer or employee on the charge of preferring a fraudulant claim of the concession, such officer or employee shall not be allowed the concession till the finalisation, of such disciplinary proceedings.

(2) If the disciplinary proceeding results in imposition of any penalty, the officer or employee shall not be allowed the next two set of the concession in addition to the sets already withheld during the pendency of the disciplinary proceedings.

(3) If the officer or employee is fully exonerated of the charge of fraudulent claim of the concession, he shall be allowed to avail of the concession withheld earlier.

Explanation :

For the purpose of this regulation, the concession to home town and to any place in India shall constitute two sets of the concession.

11. Power to relax :

Save as otherwise provided in these regulations, where the Chairman is satisfied that the operation of any of these regulations causes undue hardship in any particular case, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, dispense with or relax the requirement of that regulation to such extent and subject to such exceptions and conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

12. Residuary matters :

Matters with respect to which no specific provisions have been made in these regulations shall be regulated under the provisions of the Central Civil Services (Leave Travel Concession Rules, 1988 as amended from time to time and the instructions issued thereunder by the Central Government.

13. Interpretation :

If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Chairman who shall decide the same.

723 GI/97-2

R.L. KOUL, Member

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च , 1997

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 1997

सं. भा. रा. रा. प्रा./12011/ 2 /95 -प्रशासनः— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा- 7 के साथ पठित धारा-35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः**
   1. ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम 1997 कहलायेंगे।
   2. ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं:**

   इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —
   - (क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) है।
   - (ख) '' प्राधिकरण'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा-3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है।
   - (ग) ''अध्यक्ष'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा-3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष से है।
   - (घ) ''सदस्य'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा-3 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के सदस्य से है और इसमें अध्यक्ष शामिल है।
3. **प्राधिकरण की बैठकें:**
   1. प्राधिकरण की सामान्य बैठकें तीन माह में कम से कम एक बार होंगी । परन्तु अध्यक्ष, स्वयं या कम से कम दो सदस्यों के लिखित अनुरोध पर तत्काल स्वरूप के किसी विशेष मुद्दे पर विचार करने के लिए प्राधिकरण की विशेष बैठक बुला सकते हैं।
   2. अध्यक्ष कार्यसूची, टिप्पणियों सहित प्रत्येक सामान्य बैठक की सूचना परिचालित करेंगें ताकि यह ऐसी बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व सदस्यों तक पहुंच जाए।
   3. उप-विनियम (1) के परंतुक में निर्दिष्ट अनुरोध के प्राप्त होने पर अध्यक्ष विशेष बैठक के लिए तारीख निर्धारित करेंगे । ऐसी तारीख सूचना दिए जाने की तारीख से तीन दिन के अन्दर की होगी और इस तारीख से कम से कम 24 घंटे पूर्व बैठक के लिए कार्यसूची सहित सूचना दे दी जाएगी।
   4. प्राधिकरण की सभी बैठकों की सूचना सदस्यों के कार्यालय के पते के साथ-साथ उनके निवास स्थान के पते पर भी दी जाएगी।
4. **कोरमः**
   1. प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम चार से कम का नहीं होगा।
   2. यदि किसी समय बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या उपर्युक्त उप-खण्ड (1) में निर्दिष्ट संख्या से कम है, तो अध्यक्षता करने वाला संदस्य अन्य सदस्यों को बैठक की तारीख, जो स्थगित बैठक से 24 घंटे पूर्व नहीं होगी, समय और स्थान की सूचना देने के बाद मूल बैठक की तारीख से तीन दिन से अनधिक अवधि के लिए स्थगित करेगा और ऐसी स्थगित बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के लिए यह विधि संगत होगा कि वह उपस्थित सदस्यों की संख्या पर ध्यान दिए बिना मूल बैठक में सम्पादित किए जाने वाले अभीष्ट कार्य का निपटान करे।
5. **बैठकों का संचालनः**
   1. प्राधिकरण की सामान्य बैठक में कार्य निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा अर्थात् :
      - (क) पिछली सामान्य बैठक और किसी विशेष बैठक का कार्यवृत्त पढ़ा जाएगा और उसकी पुष्टि की जाएगी,
      - (ख) विनियम-7 के अधीन परिचालन द्वारा लिए गए प्राधिकरण के निर्णय की पुष्टि,
      - (ग) पिछली बैठक में स्थगित किए गए कार्य पर विचार किया जाना,
      - (घ) इसके पश्चात् कार्यसूची में शामिल विषयों पर विचार किया जाएगा,
      - (ङ.) अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य मामले पर भी विचार किया जा सकता है, परंतु अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी अपने विवेक से विषय क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
   2. विशेष बैठक में जिस कार्य के लिए विशेष बैठक बुलाई गई है केवल उसी पर विचार किया जाएगा।
6. **बैठकों का कार्यवृत्त :**
   1. अध्यक्ष एक कार्यवृत्त पुस्तिका के रख-रखाव की व्यवस्था करेंगे जिसमें बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम सहित प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही दर्ज की जायेगी।

2. कार्यवृत्त पुस्तिका प्राधिकरण के कार्यालय में रखी जाएगी और उपयुक्त समय पर बिना किसी भुगतान के किसी भी सदस्य के निरीक्षण के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी।

7. **कागजातों के परिचालन द्वारा कार्य निष्पादन :**

1. विनियम 3 में किसी बात के होते हुए भी, यदि अध्यक्ष की राय में किसी मामले पर प्राधिकरण द्वारा तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, तो वह यह निदेश दे सकते हैं कि कागजों को परिचालित करके उस पर प्राधिकरण का निर्णय प्राप्त किया जाए।

2. यदि प्राधिकरण के सदस्यों का बहुमत मामले का अनुमोदन करता है, तो मामले को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समझ जाएगा।

3. इस विनियम के अधीन लिया गया कोई निर्णय पुष्टि के लिए प्राधिकरण की अगली सामान्य बैठक में रखा जाएगा।

8. **प्राधिकरण की सामान्य बैठक में विचार किए जाने वाले मामले :**

प्राधिकरण निम्नलिखित सभी या किसी मामले पर सामान्य बैठक में विचार करेगा और निर्णय लेगा, अर्थात् :

(क) अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक संविदा करने के लिए निर्णय लेना,

(ख) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसमें निहित अथवा सौंपे गए अन्य राजमार्ग को विकसित करने, उसका रख-रखाव करने और उसकी व्यवस्था करने सम्बन्धी अपने कार्यों के निर्वहन के बारे में कोई निर्णय लेना,

(ग) अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निधि के उपयोग से संबंधित कोई निर्णय,

(घ) केन्द्रीय सरकार को भेजे जाने से पूर्व अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तावों की जांच,

(ङ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निधियों (जिसमें कोई प्रारक्षित निधि शामिल है) के निवेश से संबंधित या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य विषय से संबंधित कोई निर्णय,

(च) अधिनियम की धारा 21 के अधीन प्राधिकरण से उधार लेने की शक्ति का प्रयोग,

(छ) अधिनियम की धारा 22 के अधीन प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना,

(ज) प्राधिकरण के लेखा परीक्षित लेखे और उस पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना,

(झ) अधिनियम की धारा 25 के अधीन अध्यक्ष या किसी सदस्य या प्राधिकरण के किसी अधिकारी को प्राधिकरण की शक्तियों का प्रत्यायोजन,

(ञ) अधिनियम की धारा 30 के अधीन यथापेक्षित किसी भूमि या परिसर में किसी व्यक्ति के प्रवेश को प्राधिकृत करना,

(ट) विनियमों को बनाने या उनमें संशोधन के लिए अधिनियम की धारा 35 के अधीन विहित शक्तियों का प्रयोग करना और इसकी प्रतियां संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजना।

9. **कुछ एक मामलों में सदस्य बैठकों में भाग नहीं लेंगे :**

ऐसा सदस्य जिसका प्राधिकरण की बैठक में विचार के लिए आए किसी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन संबंधी हित होता है वह उस मामले के संबंध में प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या निर्णय में भाग नहीं लेगा।

श्रीमती नीलम नाथ, सदस्य (वित्त एवं प्रशासन)

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 11the March, 1997

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA (TRANSACTION OF BUSINESS) REGULATIONS, 1997

No. NHAR/12011/2/95-Admn.—In exercise of the power conferred by section 35 read with section 7 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title and commencement :**

(1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Transaction of Business) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Definitions :**

In these regulations, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988);

(b) "Authority" means the National Highways Authority of India constituted under section 3 of the Act;

(c) "Chairman" means the Chairman appointed by the Central Government under section 3 of the Act;

(d) "Member" means a Member of the Authority appointed under section 3 of the Act and includes the Chair man.

3. **Meetings of the Authority :**

(1) Ordinary meetings of the Authority shall be held atleast once in three months.

Provided that Chairman by himself or on a request in writing made by at least two Members may arrange to convene a special meeting of the Authority to consider any special issue of an immediate nature.

(2) The Chairman shall cause to circulate the notice of every ordinary meeting along with the agenda notes so as to reach the Members at least seven days before the date fixed for such meeting.

(3) On receipt of a request referred to in the proviso to sub regulation (1), the Chairman shall fix a date for the special meeting, such date not being later than three days from the date of the notice and cause to be sent notices for such meeting alongwith the agenda at least twenty-four hours before such date.

(4) Notice for all meetings of the Authority may be served upon a member by sending them to their official and also to their residential addresses.

4. **Quorum :**

(1) The quorum for every meeting of the Authority shall not be less than four.

(2) If at any time, the number of Members present at a meeting is less than the number specified in sub-clause (1) above, the Member presiding shall adjourn the meeting to a date not later than three days from the date of such meeting after informing the Members of the date not earlier than 24 hours, time and place of the adjourned meeting to dispose of the business intended to be presented at the original meeting irrespective of the number of members present.

5. **Conduct of meetings :**

(1) At an ordinary meeting of the Authority, business shall be conducted in the following order, namely :

(a) the minutes of the previous ordinary meeting and any special meeting held shall be read and confirmed;

(b) confirmation of decision taken by the Authority by circulation under regulation 7;

(c) the business posponed at the previous meeting shall then be considered;

(d) subject included in the agenda shall thereafter be considered;

(e) any other matter may also be considered with the permission of the Chair.

Provided that the Chairman or, the Presiding Officer may at his discretion, change the order of business.

(2) At a special meeting, the business or the business for which the special meeting has been called shall only be considered.

6. **Minutes of meetings :**

(1) The Chairman shall cause to be maintained a Minute Book recording therein the proceedings of every meeting of the Authority along with the names of the Members present thereat.

(2) The Minute Book shall be kept in the Office of the Authority and be open for inspection of any Member without payment at all reasonable times.

7. **Transaction of business by circulation of papers :**

(1) Notwithstanding anything contained in regulation 3, if in the opinion of the Chairman, any matter requires urgent attention of the Authority, he may direct that the decision of the Authority thereon may be obtained by circulation of papers.

(2) If the decision of majority of Members of the Authority indicates approval thereon, the matter may be deemed to have been approved by the Authority.

(3) Any decision taken under this regulation shall be e placed before the next ordinary meeting of the Authority for confirmation.

8. Matters to be considered in an ordinary meeting of the Authority :

The Authority shall consider and take a decision in an ordinary meeting on all or any of the following matters, namely:

(a) Any decision in connnection, with entering into any contract necessary for the discharge of its functions under the Act;

(b) Any decision in discharge of its functions to develop, maintain and manage any national highway or any other highway vested in or entrusted to it;

(c) Any decision relating to the utilisation of the National Highways Authority of India Fund constituted under section 18 of the Act;

(d) Examination of the budget proposals for the next financial year before it is forwarded to the Central Government;

(e) Any decision relating to investment of funds (including any reserve fund) in the securities of the Central Government or any other manner as may be prescribed by the Central Government;

(f) Exercise of the borrowing powers of the Authority under section 21 of the Act;

(g) Preparation of the Annual Report of the Authority under section 22 of the Act;

(h) Consideration of the audited accounts of the Authority and the auditor's report thereon;

(i) Delegation of powers of the Authority to the Chairman or any Member or to any officer of the Authority, under section 25 of the Act;

(j) Authorising any person to enter upon any land or premises as required under section 30 of the Act;

(k) Exercise of powers under section 35 of the Act to make or to amend regulations and forwarding copies of the same to the Central Government for being laid before the Parliament.

9. Member not to participate in meetings in certain cases :

Any Member who has any direct or indirect pecuniary interest in any matter coming up for consideration at a meeting of the Authority shall not take any part in any deliberation or decision of the Authority with respect to that matter.

MRS. NEELAM NATH, Member (F & A)

723 GI(97)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997